तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28/07/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० तलबी अप्रार्थीगण जरिये Reg AD T.I. सम्मन से की जाकर पत्रावली दिनांक 27/05/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

27/05/25

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 27/6/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर अफसर

27/06/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० तलबी अप्रार्थीगण जरिये Reg. Ad टीआई सम्मन से की जाकर पत्रावली 28/07/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

28/07/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० दावा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी है अप्रार्थी सं० 01 व 02 बावजूद तामील उपस्थित नही नाही अनका कोई विधिक प्रतिनिधि उप. आया। अतः अप्रार्थी सं० 01 व 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है मूल प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर वकील प्रार्थी बहस सुनी। वकील प्रार्थी बहस पर मनन किया। प्रा. पत्र का अवलोकन किया मूल वाद दावा तकस्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का है, जिसका पर्याप्त साक्ष्य सबूतो के आधार पर विधिवत निस्तारण किया

(हस्ताक्षर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जाना है। मूल वाद के विधिवत निस्तारण होने तक अप्रार्थीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि का स्वरूप बदले जाने का अंदेशा प्रतीत होता है। अतः मूल वाद के विधिवत निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।
	अतः वकील प्रार्थी बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 27/11/2024 ता फैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है विवादग्रस्त भूमि में से अप्रार्थी किसी भी प्रकार से बजरी खनन नहीं करें। पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उप जिला

छोट्या पुत्र जयनारायण
जिला दौसा, राजस्थान।

1. शिम्भू पुत्र जयनाराय
जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार
जिला दौसा।

प्रा

महोदय,

प्रार्थना

1. यह है कि उ
पर जुदागाना
की पूरी पूरी
2. यह है कि भू
2076 के खस
रकबा 0.10
किता 03 कु
बांदीकुई जि
में भूमि मुतद
3. यह है कि
हिस्सा 1/